This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शनिवार, 31 जनवरी, 2026 / 11 माघ, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 29 जनवरी, 2026

संख्याः एल0एल0आर0–ई(9)–2 / 2023–*लेज.*––श्री रविन्द्र चौहान, अधिवक्ता, सिरमौर ने उप–मण्डल शिलाई, जिला सिरमौर की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952

(1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं।

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, श्री रविन्द्र चौहान, अधिवक्ता को उप–मण्डल शिलाई, जिला सिरमौर की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निर्देश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा,

राजीव बाली,
विधि परामर्शी एवम् प्रधान सचिव (विधि)।

———————

[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)-2/2023-Leg., Dated 29- 01 -2026 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2 the 29th January, 2026

No. LLR-E (9)-2/2023-Leg.—WHEREAS, Sh. Ravinder Chauhan, Advocate, has applied for appointment as notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the rules framed thereunder, within the territorial limits of Sub Division Shillai of District Sirmaur;

AND WHEREAS, all the requirements as provided under the said Act and rules have been complied with;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Sh. Ravinder Chauhan, Advocate as notary within the limits of Sub Division Shillai of District Sirmaur, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of notaries maintained by the Government.

By order,

RAJEEV BALI,
LR-cum- Pr. Secretary (Law).

———————

TOURISM & CIVIL AVIATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th January, 2026

No. TSM-A (4)-5/2025.—Whereas, the draft Himachal Pradesh Tourism Investment Promotion Council Rules, 2025 were notified *vide* this department notification of even number

dated 01-12-2025 and published in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh on 08-12-2025 for inviting objection(s) or suggestion(s) from the general public, as required under clause (m) of sub-section (2) of Section 64 of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 (Act 15 of 2002);

And whereas, no suggestions have been received from the general public in this behalf during the stipulated period;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Section 64 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules for carrying out the purposes of the aforesaid Act, namely:—

1. Short title, extent and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Tourism Investment Promotion Council Rules, 2025

(2) These rules shall come in to force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazatte), Himachal Pradesh.

2. Definitions.—(1) In these Rules, unless there is anything repugnant to the subject or context;

(a) "Act" means the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 (Act No. 15 of 2002);

(b) "Application" means and includes an application made under Rule 6 for applying for registration of Project under these rules;

(c) "Director" means the Director of Tourism and Civil Aviation, Himachal Pradesh appointed by the Government;

(d) **"**Investment" means and includes commitment of resources into something expected to gain value over time;

(e) "Member" means a member of Tourism Promotion Investment Council;

(f) "Nodal Officer" shall mean an officer as may be notified by the Director, Tourism and Civil Aviation, Himachal Pradesh and approved by the Tourism Investment Promotion Council;

(g) "Official Gazette" means the (e-Gazette) Rajpatra, Himachal Pradesh;

(h) "Person" includes Individuals, company, partnership firm, co-operative society, joint family/ Hindu Undivided Family, an individual organization or body of persons whether incorporated or not, Local authorities and proprietors;

(i) "Planning area" means any area declared to be planning area under the provisions of Himachal Pradesh Town & Country Planning Act, 1977;

(j) "Rural areas" means area outside the jurisdiction of a duly constituted urban local body *i.e.* Municipal Corporation, Nagar Parishad and Nagar Panchayat. SADA's shall not, however, be considered an Urban Local body;

(k) "Secretary" means the Secretary to the Government of Himachal Pradesh of the Department concerned designated to be the official member of the Council.

(l) "Special area" means a special area defined as such under section 66 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977;

(m) "Urban areas" means areas within the jurisdiction of a duly constituted urban local body *i.e.* Municipal Corporation, Nagar Parishad and Nagar Panchayat under the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 or under the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994.

(2) Words and expression used in these rules but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

CHAPTER –II

TOURISM INVESTMENT PROMOTION COUNCIL (TIPC)

3. Establishment and constitution of the Tourism Investment Promotion Council

(1) The Government may, by notification in the Official Gazette, establish a Council to be known as the "Tourism InvestmentPromotion Council" for carrying out the objective of these rules *ibid.*

(2) The Council shall be a body incorporated by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power to acquire, hold and dispose of property and to contract and may, by the said name sue and be sued.

(3) The Council shall consist of the following members namely :-

(a) Chief Minister, State of Himachal Pradesh .. *Chairperson;*

(b) Minister-In-Charge (Tourism & Civil Aviation), State of Himachal Pradesh. .. *Vice Chairperson;*

(c) Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh. .. *Member;*

(d) Chairperson, HP Tourism Development Corporation, Himachal Pradesh. .. *Member;*

(e) Secetary, Finance to the Government of Himachal Pradesh .. *Member;*

(f) Secetary, Revenue to the Government of Himachal Pradesh . .. *Member;*

(g) Secretary, Industries to the Government of Himachal Pradesh . .. *Member;*

(h) Secretary, Environment Science & Technology to the Government of Himachal Pradesh. .. *Member;*

i)	Secretary, Power to the to the Government of Himachal Pradesh.	.. *Member;*
(j)	Secretary, Jal Shakti Vibhag to the to the Government of Himachal Pradesh.	.. *Member;*
(k)	Secretary, Forest to the Government of Himachal Pradesh .	.. *Member;*
(l)	Secretary, Tourism and Civil Aviation to the Government of Himachal Pradesh.	.. *Member;*
(m)	Secretary, Housing to the Government of Himachal Pradesh.	.. *Member;*
(n)	Secretary, Town and Country Planning to the Government of Himachal Pradesh.	.. *Member;*
(o)	Secretary, Urban Development to the Government of Himachal Pradesh.	.. *Member;*
(p)	Director, Tourism and Civil Aviation Department, Himachal Pradesh.	.. *Member Secretary;*

4. Meeting of the Council: (1) An ordinary meeting of the Council shall be held generally once a month, on the date, time and place fixed by the Chairperson.

(2) The Chairperson may, whenever he thinks fit, call a special meeting.

(3) Every meeting of the Council shall be presided over by the Chairperson and in his absence by the Vice-Chairperson and in the absence of both, by any other member chosen by the Chairperson.

(4) The Member-Secretary of the Council shall issue notice alongwith the agenda of the meeting to all the members of the Council atleast two days before the meeting.

(5) The presence of 60% of the total number of the members of the Council shall form the quorum of a meeting.

(6) The proceedings of the meeting of the Council shall be attested by the Chairperson and maintained by the Member-Secretary of the Council.

5. Powers and functions of the Council: (1) The Council shall take all necessary action to manage all the activities of the Council for achieving the objectives of these Rules.

(2) The Council may:—

(a) Create a comprehensive and engaging platform that highlights state tourism activities, promotes regional culture, attract visitors, and foster local tourism industry.

(b) To ensure that investments in tourism are both sustainable and economically sound

(c) Foster a culture of transparency and accountability, the Council shall aim to align financial decisions with the State's broader vision for sustainable tourism development.

(d) Manage, process, examine and grant approval to proposals entailing investment of more than Rs. 50.00 Crore per Tourism Project.

(3) The Council may.—

(a) charge fee on any of the direct services provided by it; and

(b) coordinate with the stakeholders *w.r.t.* processing /approval of the project.

(4) The Application made under rule 6 shall be granted in-principle approval within a period of thirty working days from the date mentioned in Rule 6 (3).

6. Registration of Application and procedure thereof:

(1) The Project Proponent or Applicant shall file an application in Form 1 appended with these rules alongwith supporting documents.

(2) The application shall be accepted only when the documents required as per the checklist (Form-1) are complete in all respects. In case of any shortcomings, the Nodal Officer shall intimate the project proponent within three working days highlighting the shortcomings in the checklist under his signature. After complying with the requirements / deficiencies as indicated, the Project Proponent shall again submit the complete documents as per the checklist for consideration of the project. Once the application as per checklist is found complete, the Nodal Officer shall provide a receipt of acceptance of the application under his / her signatures to the Project Proponent/ Applicant as per Form -2.

(3) The acceptance of the application as explained in rule 6 (2) shall be the Day one of the period as mentioned under Rule 5 (4) *supra*.

(4) After the acceptance of the application, it shall be forwarded to the concerned stakeholder departments for necessary processing / approval on day one for their approval:
Provided that in case of Projects requiring non-statutory clearances, the concerned department(s) shall give their approval within a period of fourteen working days after raising comprehensive one-time observations, if any and dispose off the application as mentioned in rule 6 (1) in finality, except in cases the Project Proponent/ Applicant fails to reply/ remove observations conveyed:

Provided further that in case of statutory clearances, the time period for approval shall be fourteen working days. Even after the deemed sanctions, the authorities shall have the power to enforce the applicant / project proponent to comply with the statutory provisions of law.

(5) In case, any application under Rule 6 (1) *ibid* is submitted by the Applicant/ Project Proponent but there are certain deficiencies/ shortcomings, the Department can direct the Applicant/Project Proponent to remove such deficiencies/ shortcomings within a period of ten days and if the Applicant/ Project Proponent fails to remove such deficiencies then in such an eventuality the in-principle approval shall be deemed to be withdrawn:

Provided that after removal of deficiencies/ shortcomings, the approval shall be granted within a period of fourteen days.

(6) For the purpose of timely clearance of proposals, all tourism projects falling within the purview of the Council and requiring permission under section 118 of Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 (which is a statutory provision) shall henceforth, be applied on online portal of Revenue Department and a receipt shall also be submitted to the Tourism Department which shall coordinate with the Revenue Department for further approval. The approval of the Government shall be granted by the Revenue Department within a stipulated period of fourteen working days from the date of submission of application duly supported by all documents as per Form-1. If any short coming is found and require redressal, the same shall be informed by Revenue Department as per procedure of the Department within five working days to the proponent. Tourism Department may coordinate with the proponent to redress the query. The time taken by the Applicant/ Project proponent in addressing the queries shall be excluded from the fourteen working days time period for grant of permission.

(7) The various statutory clearances of the project approved by TIPC shall be given by respective departments like Revenue, Tourism, Town and Country Planning, Pollution Control Board *etc.* in an expeditious manner The action taken report of all such projects shall be submitted in successive TIPC's meeting till the time, project is grounded.

(8) Until the online platform for the submission/processing of the applications for the projects is developed, the Department of Tourism and Civil Aviation shall initiate the process of acceptance of such applications offline.

(9) Such Tourism Projects or Real Estate Projects intending to convert into Tourism Projects, which are more than 70 % complete on ground, shall be eligible for consideration in TIPC subject to fulfillment of legal and other conditions under prevailing laws.

Provided further that Real Estate Projects will be allowed to be put to Tourism use such as serviced residences with the permission of the Department of Tourism and Civil Aviation which shall issue revised Essentiality Certificate as per Rule 10 of these Rules.

(10) For ascertaining the financial standing of the Project Proponent, TIPC (Department of Tourism and Civil Aviation, (H.P.) shall verify the net worth as on the preceding financial year from the date of submission of the application to be assessed on the basis of last three income tax returns duly certified by a competent authority or a registered Chartered Accountant of the applicant/ project proponent.

(a) In case the Applicant/ Project Proponent is a Company, the net-worth shall be the aggregate value of the paid-up share capital and all reserves created out of the profits and securities premium account, after deducting the aggregate value of the accumulated losses, deferred expenditure and miscellaneous expenditure not written off, as per the audited balance sheet, but it shall not include reserves created out of revaluation of assets, write-back of depreciation and amalgamation.

(b) In case of a partnership firm, the net-worth shall be the sum of contribution by each partner. It shall not include in the capital of the firm and free reserves but accumulated losses and miscellaneous expenses.

(c) In case of any other body corporate (including LLPs), the net-worth shall be the aggregate of paid-up capital or partners' contribution (as the case may be) and reserves

(excluding revaluation reserves, reserves created out of amalgamation, and reserves not created out of profits), after deducting accumulated losses, intangible assets, deferred expenditure and miscellaneous expenditure not written off, as per the latest audited balance sheet.

(11) The other stakeholder Departments such as, Public Works, Jal Shakti and Himachal Pradesh Electricity Board shall ensure road access, water availability and electricity etc. for such projects but only after due diligence as to basic social / environmental impact, deposit of Departmental cost *etc*. These Departments shall be allowed to execute these works as a deposit work if the work is on Government / public land and further allowed to take funds as deposit from the Applicant/ Project Proponent/ Private Investor, for the project purpose. The Forest Department shall process the FCA cases expeditiously and facilitate the Applicant/ Project Proponent accordingly.

(12) In case, the applicant/project proponent intends to invest on a Government Land, then they can proceed under the Swiss challenge mode as per the HP Infrastructure Development Board Unsolicited Proposal (Under Swiss Challenge Approach) Regulation, 2022 published in the (e-Gazette) / Rajpatra, Himachal Pradesh on 24-09-2023.

7. Registration fees (1) An application for registration under Rule 6 shall be submitted to the Department of Tourism and Civil Aviation, along with requisite documents, as specified in **Form-1** and registration fee as specified in sub rule(2)below for which, the Department shall issue a receipt as per **Form-2.**

(2) The application shall be accompanied by a registration fee of Rs. 10,00,000/- (Ten Lakh Only)through a demand draft or online mode. The Registration fees shall be deposited in a separate account/ Head of the Department of Tourism and Civil Aviation.

(3) The application shall also be accompanied by security amount of Rs. One Crore to be refunded after a period of thirty days to the applicant.

(4) The Real Estate Tourism projects covered under Rule 6 (9) shall have to pay registration fees amounting to Rs. 20,00,000/- (Twenty Lakh Only).

8. Timeline and Extension (1)The Applicant/ Project Proponent shall complete the project in all eventualities within thirty-six months from the date of final approval.

(2) The Council may extend the aforesaid period of thirty-six months by twenty-four months more by a speaking order assigning reasons subject to a non-refundable additional cost of ten percent of the project.

9. Self Declaration The applicant under these rules shall have to file a self declaration/ undertaking as per **Form-3** alongwith application and relevant documents before the Department of Tourism and Civil Aviation Himachal Pradesh.

10. Issuance of Essentiality certificate The Nodal Officer shall on receipt of an application for registration of a tourism unit along with the specified fee, scrutinize the application on the date of its receipt and if found in order, shall, enter the contents of the application in the relevant register. The Director (Tourism) shall process the case as per the Rules and dispose of the case within two working days of the receipt.

A revised Essentiality Certificate shall be issued by the concerned Nodal Officer in respect of all real estate projects proposed to be issued for tourism purposes.

11. Penalty for false statement:- (1) If any person, who makes a false statement under these rules or willfully suppresses any material fact with the intention to mislead the Department, shall be liable for forfeiture of security amount.

(2) The person who makes such false statement as detailed in sub-rule (1) *supra* shall be permanently debarred from applying under these rules for perpetuity.

(3) In case, the Applicant/ Project Proponent fails to execute the proposed project even within the extended time period as stipulated under Rule 8, the project, as the case may be, proceeded to vested with the State Government as per relevant provisions of HP Tenancy & Land Reforms Act 1972.

(4) In case, the applicant/project proponent commits any violation of these Rules as applicable for seeking a valid permission under these Rules including permission(s) granted by the Council or the Department(s) or causes damage to environment, shall be liable to forfeit the security amount as provided under Rule 7 (3) after ascertaining of full facts through Department of Environment/ Concerned Department, as the case may be, after giving a reasonable opportunity of being heard.

12. Application of other laws not barred The provisions of these rules shall be in addition to the provisions of any other law for the time being in force.

13. Protection of action taken in good faith No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the appropriate Authority or any officer or other employees of the Authority for anything, which is done in good faith or intended to be done under these rules.

14. Power to remove difficulties If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these rules, the State Government may, by order, (duly published in the Official Gazette) make such provisions not inconsistent with the provisions of these rules as may appear to be necessary for removing the difficulty.

15. Delegation of Powers The Rules of Business of the Council shall be notified separately after getting them approved from the Council.

Form -1

(See Rule-6)

The application shall be accompanied by following documents as detailed herein below:

Sl. No.	**Details of documents**
1.	Name and address of the applicant
2.	Description of area (Whether Planning area/ Special area/ Deemed planning area/ Urban Area/ Rural other) alongwith details of Village, Panchayat and District in which land is situated.
3.	Detailed Project Report (DPR) with detailed map and site plan

4.	Existing zone as per Development Plan of the planning/ special area/ Municipal Limits of Corporation/ Council/ Urban areas/ Rural areas, if applicable .
5.	Road Accessibility including NOC from HP PWD/ NHAI/ Rural Development Department along with status that whether the road is on Government Land or on Private Land. Note: In case the road is on private Land, the onus shall lie on Applicant/ Project Proponent to obtain NOC from respective owners which may include sale-purchase of land or gift deed.
6.	Water Availability including NOC from Department of Jal Shakti Vibhag ascertaining the source of water, whether natural or ground water.
7.	NOC from HPSEBL regarding HT Lines
8.	A copy of title/ownership documents *i.e.* latest jamabandi in original
9.	Slope Stabilization Plan indicating both engineering and nature-based solution & drainage management plan .
10	Photographs of the site from 2 to 3 different angles with date
11.	Permission under Section 118 shall be uploaded with all the following documents on the official portal of Department of Revenue by Applicant/ Project Proponent: (i) LR-XIV (ii) Agreement to sale (iii) Essentiality Certificate (iv) Latest Jamabandi, Tatima (v) Affidavits of seller and purchaser (vi) Affidavits &NOC's in case of joint holding (vii) Balance land certificate of seller (viii) Information on prescribed format.

Form-2

[See Rule-6(2) and 7(1)]

Acknowledgement receipt by the Applicant: -

Submission of application form along with requisite fee of Rs……

I/We have deposited a sum of Rs……/- only (Rs. ……only) towards the Application Fee as specified in Rule __ of the HP Tourism Investment Promotion Council (TIPC) rules, 2025.

E-payment with transaction detail.

Enclosure: As above. Yours faithfully,

Signature of applicant(s)

Address……...

…….....

…….....

Phone No……

APPLICATION RECEIPT

Received…… an amount of Rs…… from the Applicant Shri/Smt./M/s ……..for application under HP Tourism Investment Promotion Council (TIPC) rules, 2025 through E-payment.

Signature and designation of the Officer receiving money,

Department of Tourism & Civil Aviation, H.P.

_____

Form-3

(See Rule-9)

Self Declaration/ Undertaking

1. That, I……., S/o W/o D/o/M/s…… do hereby solemnly affirm and declare that the contents of Application submitted by me along with requisite documents as required under Form-1 read with Rule 6 of the Tourism Investment Promotion Council Rules, 2025 are true and correct to the best of my knowledge.

2. I further agree that I shall be solely responsible to be penalized under Rule 11 of the rules ibid and shall also be liable for any loss or damage to the Department in case information furnished by me is found to be false or in case of suppression of suppresses a material fact with the intention to mislead the Department.

3. I expressly acknowledge and agree that in the event of any such default *supra*, I shall be liable to be permanently debarred from applying under these Rules for perpetuity.

4. I have read and agreed to the rules and shall be further liable for all costs in case of cancellation, damage or loss to the department howsoever caused.

5. I, the above-named deponent do hereby further solemnly affirm that the contents of this affidavit are true, no part of it is false and nothing has been concealed therefrom.

Signed and verified at …… on this the…… day of …… 20_____.

Deponent

By order,
Sd/-
(Devesh Kumar, IAS),
Pr. Secretary (Tourism & CA).

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 70968 / 2026 तारीख पेशी : 03–02–2026

संतोष कुमार पुत्र वाजू राम, निवासी महाल छौंट, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी संतोष कुमार पुत्र वाजू राम, निवासी महाल छौंट, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त गन्धवाड़, के राजस्व महाल छौंट, मौजा गंधवाड़, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से प्रार्थी के पिता का नाम वाजू दर्ज हो गया है जबकि उसके पिता के मृत्यु प्रमाण–पत्र में वाजू राम दर्ज है, जोकि उसके पिता का सही नाम है। दो अलग–अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम वाजू राम उपनाम वाजू दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 03–02–2026 को

असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी संतोष कुमार पुत्र वाजू राम, निवासी महाल छौंट, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के पिता का नाम राजस्व पटवार वृत्त गन्धवाड़ के राजस्व महाल छौंट के राजस्व अभिलेख में वाजू राम उपनाम वाजू दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 21–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 70967 / 2026 तारीख पेशी : 03–02–2026

पुरषोतम दास पुत्र दुनी चन्द, निवासी महाल थाती, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी पुरषोतम दास पुत्र दुनी चन्द, निवासी महाल थाती, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त थिल के राजस्व महाल भरम दयारा व महाल थाती, मौजा थिल, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से प्रार्थी का नाम प्रशोतम दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम पुरषोतम दास दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग–अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महालों के राजस्व अभिलेख में उसका नाम पुरषोतम दास उपनाम प्रशोतम दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 03–02–2026 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी पुरषोतम दास पुत्र दुनी चन्द, निवासी महाल थाती, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त थिल के राजस्व महाल भरम दयारा व महाल थाती के राजस्व अभिलेख में पुरषोतम दास उपनाम प्रशोतम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 21–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 70969 / 2026 तारीख पेशी : 03–02–2026

कर्म सिंह पुत्र झंडू राम, निवासी महाल चलोई, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी कर्म सिंह पुत्र झंडू राम, निवासी महाल चलोई, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त थिल के राजस्व महाल चलोई, मौजा थिल, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से प्रार्थी का नाम कर्म चन्द व उसके पिता का नाम झण्डू दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम कर्म सिंह व पिता के मृत्यु प्रमाण–पत्र में झण्डू राम दर्ज है, जोकि उसका व उसके पिता का सही नाम है। दो अलग–अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका व उसके पिता का नाम कर्म सिंह उपनाम कर्म चन्द पुत्र झण्डू राम उपनाम झण्डू दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 03–02–2026 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी कर्म सिंह पुत्र झंडू राम, निवासी महाल चलोई, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) का नाम व उसके पिता का नाम राजस्व पटवार वृत्त थिल के राजस्व महाल चलोई के राजस्व अभिलेख में कर्म सिंह उपनाम कर्म चन्द पुत्र झण्डू राम उपनाम झण्डू दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 21–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, श्रेणी-II, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 05–02–2026

श्रीमती सरिता कुमारी पत्नी स्व0 श्री देश राज, निवासी महाल खोली, मौजा संसाई, उप–तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.––नाम की दुरुस्ती करने बारे।

श्रीमती सरिता कुमारी पत्नी स्व0 श्री देश राज, निवासी महाल खोली, मौजा संसाई, उप–तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय स्वघोषणा–पत्र द्वारा सूचित किया है कि उसका असल नाम सरिता कुमारी है। उनके द्वारा साथ संलग्न अन्य अभिलेख में भी इसी नाम से प्रविष्टि दर्ज है, जबकि महाल खोली, पटवार वृत्त वरबालखड के राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया का नाम सरिता देवी दर्ज है जोकि गलत है। अतः प्रार्थिया उपरोक्त वर्णित राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः इस मुश्त्री / मुनादी चस्पांगी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 05–02–2026 को असालतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 20–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 70968 / 2026 तारीख पेशी : 03–02–2026

संतोष कुमार पुत्र वाजू राम, निवासी महाल छौंट, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी संतोष कुमार पुत्र वाजू राम, निवासी महाल छौंट, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त गन्धवाड़, के राजस्व महाल छौंट, मौजा गंधवाड़, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से प्रार्थी के पिता का नाम वाजू दर्ज हो गया है जबकि उसके पिता के मृत्यु प्रमाण–पत्र में वाजू राम दर्ज है, जोकि उसके पिता का सही नाम है। दो अलग–अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम वाजू राम उपनाम वाजू दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 03–02–2026 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर /

एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी संतोष कुमार पुत्र वाजू राम, निवासी महाल छौंट, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के पिता का नाम राजस्व पटवार वृत्त गन्धवाड़ के राजस्व महाल छौंट के राजस्व अभिलेख में वाजू राम उपनाम वाजू दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 21–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 70967 / 2026 तारीख पेशी : 03–02–2026

पुरषोतम दास पुत्र दुनी चन्द, निवासी महाल थाती, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी पुरषोतम दास पुत्र दुनी चन्द, निवासी महाल थाती, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त थिल के राजस्व महाल भरम दयारा व महाल थाती, मौजा थिल, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से प्रार्थी का नाम प्रशोतम दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम पुरषोतम दास दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग–अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महालों के राजस्व अभिलेख में उसका नाम पुरषोतम दास उपनाम प्रशोतम दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 03–02–2026 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी पुरषोतम दास पुत्र दुनी चन्द, निवासी महाल थाती, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त थिल के राजस्व महाल भरम दयारा व महाल थाती के राजस्व अभिलेख में पुरषोतम दास उपनाम प्रशोतम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 21–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 70969 / 2026 तारीख पेशी : 03–02–2026

कर्म सिंह पुत्र झंडू राम, निवासी महाल चलोई, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी कर्म सिंह पुत्र झंडू राम, निवासी महाल चलोई, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त थिल के राजस्व महाल चलोई, मौजा थिल, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से प्रार्थी का नाम कर्म चन्द व उसके पिता का नाम झण्डू दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम कर्म सिंह व पिता के मृत्यु प्रमाण–पत्र में झण्डू राम दर्ज है, जोकि उसका व उसके पिता का सही नाम है। दो अलग–अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका व उसके पिता का नाम कर्म सिंह उपनाम कर्म चन्द पुत्र झण्डू राम उपनाम झण्डू दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 03–02–2026 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी कर्म सिंह पुत्र झंडू राम, निवासी महाल चलोई, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) का नाम व उसके पिता का नाम राजस्व पटवार वृत्त थिल के राजस्व महाल चलोई के राजस्व अभिलेख में कर्म सिंह उपनाम कर्म चन्द पुत्र झण्डू राम उपनाम झण्डू दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 21–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, श्रेणी-II, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 05–02–2026

श्रीमती सरिता कुमारी पत्नी स्व0 श्री देश राज, निवासी महाल खोली, मौजा संसाई, उप–तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.––नाम की दुरुस्ती करने बारे।

श्रीमती सरिता कुमारी पत्नी स्व0 श्री देश राज, निवासी महाल खोली, मौजा संसाई, उप–तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय स्वघोषणा–पत्र द्वारा सूचित किया है कि उसका असल नाम सरिता कुमारी है। उनके द्वारा साथ संलग्न अन्य अभिलेख में भी इसी नाम से प्रविष्टि दर्ज है, जबकि महाल खोली, पटवार वृत्त वरबालखड के राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया का नाम सरिता देवी दर्ज है जोकि गलत है। अतः प्रार्थिया उपरोक्त वर्णित राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः इस मुश्त्री / मुनादी चस्पांगी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 05–02–2026 को असालतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 20–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

समक्ष नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 82183 / 2026 तारीख मजरूआ : 13–01–2026 तारीख पेशी : 04–02–2026

श्री रितिक पुत्र स्व0 श्री देव कुमार पुत्र दुनी चन्द, निवासी महाल मलाणा, मौजा खावा, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. फरीकदोयम।

दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

श्री रितिक पुत्र स्व0 श्री देव कुमार पुत्र दुनी चन्द, निवासी महाल मलाणा मौजा खावा, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत में दिनांक 13–01–2026 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम रितिक है, परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल मलाणा में रितिक कुमार दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में आवाहन पत्र तलवाना, नकल शजरा नस्ब, नकल जमाबन्दी, स्वघोषणा पत्र, पैन कार्ड, शिक्षा प्रमाण पत्र, व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल मलाणा में प्रार्थी का नाम रितिक कुमार के स्थान पर रितिक पुत्र स्व0 श्री देव कुमार पुत्र दुनी चन्द, निवासी महाल मलाणा मौजा खावा, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के नाम

दुरुस्ती करने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 04–02–2026 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 13–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पंचरूखी,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा : तकसीम केस नं0 : 3 / 2025 तारीख पेशी : 06–01–2026

सतीश कुमार आदि

बनाम

अनुज कुमार आदि

भूमि खाता नं0 109, खतौनी नं0 165, ता 169, खसरा कित्ता –15, रकबा तदादी 00–33–14 है0 महाल बालू हदबस्त नं0 243, तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 जमाबन्दी वर्ष 2018–19.

नोटिस बनाम.–1. अनुज कुमार पुत्र रमेश चंद पुत्र घैन्कू उपनाम हरी राम, 2. आंचल पुत्री रमेश चंद पुत्र घैन्कू उपनाम हरी राम, 3. मुस्कान कुमारी पुत्री रमेश चंद पुत्र घैन्कू, 4. स्र्वण देवी विधवा रमेश चंद, 5. हूकम चंद पुत्र संतोष कुमार पुत्र राम रतन, 6. हीमा पुत्री संतोष कुमार पुत्र राम रतन, 7. निशा पुत्री संतोष कुमार पुत्र राम रतन, 8. मनीषा पुत्री संतोष कुमार, 9. संगीता विधवा संतोष कुमार, 10. दया देवी पुत्री घैन्कू उपनाम हरी राम, 11. पुन्नी देवी पुत्री घैन्कू उपनाम हरी राम, 12. मथुरा देवी विधवा घैन्कू उपनाम हरी राम, 13. ब्यासां देवी पुत्री राम रत्न पुत्र घोगड़, 14. कुमार लता पुत्री राम रतन पुत्र घोगड़, 15. रमजू देवी विधवा राम रतन पुत्र घोगड़, 16. आशू राम पुत्र फलिया पुत्र घोगड़ सभी निवासीयान महाल बालू, तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किए गए, परन्तु साधारण तरीके से तामील न हुई। प्रार्थी ने सही पता पेश करने में असर्मथता व्यक्त की तथा इश्तहार जारी करने का अनुरोध किया। अतः अब इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि इस केस बारे किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 04–02–2026 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 13–01–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पंचरूखी,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम केस नं0 : 4 / 2025 तारीख पेशी : 06–01–2026

सतीश कुमार आदि

बनाम

अनुज कुमार आदि

भूमि खाता नं0 110 खतौनी नं0 170 खसरा नं0 217, रकबा तदादी 00–01–88 है0, महाल बालू, हदबस्त नं0 243, तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0, जमाबन्दी वर्ष 2018–19.

नोटिस बनाम.– 1. अनुज कुमार पुत्र रमेश चंद पुत्र घैन्कू उपनाम हरी राम, 2. आंचल पुत्री रमेश चंद पुत्र घैन्कू उपनाम हरी राम, 3. मुस्कान कुमारी पुत्री रमेश चंद पुत्र घैन्कू, 4. स्वर्ण देवी विधवा रमेश चंद, 5. हूकम चंद पुत्र संतोष कुमार पुत्र राम रतन, 6. हीमा पुत्री संतोष कुमार पुत्र राम रतन, 7. निशा पुत्री संतोष कुमार पुत्र राम रतन, 8. मनीषा पुत्री संतोष कुमार, 9. संगीता विधवा संतोष कुमार, 10. दया देवी पुत्री घैन्कू उपनाम हरी राम, 11. पुन्नी देवी पुत्री घैन्कू उपनाम हरी राम, 12. मथुरा देवी विधवा घैन्कू उपनाम हरी राम, 13. ब्यासां देवी पुत्री राम रतन पुत्र घोगड़, 14. कुमार लता पुत्री राम रतन पुत्र घोगड़, 15. रमजू देवी विधवा राम रतन पुत्र घोगड़, 16. आशू राम पुत्र फलिया पुत्र घोगड़ सभी निवासीयान महाल बालू, तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किए गए परन्तु साधारण तरीके से तामील न हुई। प्रार्थी ने सही पता पेश करने में असमर्थता व्यक्त की तथा इश्तहार जारी करने का अनुरोध किया। अतः अब इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि इस केस बारे किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 04–02–2026 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 13–01–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पंचरूखी,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम केस नं0 : 19 / TEH / 2025 तारीख पेशी : 04–02–2026

राज कुमार आदि

बनाम

मंगला देवी आदि

भूमि खाता नं0 26, खतौनी नं0 48, खसरा कित्ता–3, रकबा तदादी 00–03–22, है0 महाल छतर, तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0, जमाबन्दी वर्ष 2021–22.

नोटिस बनाम.– 1. भवानी चंद पुत्र प्रधान सिंह पुत्र सुखू, 2. विहारी लाल पुत्र, 3. अमरनाथ पुत्र, 4. भीखरी देवी पुत्री बालू पुत्र धौलू, 5. घनश्याम पुत्र, 6. पूनम पुत्री भीमसेन पुत्र बालू, 7. रमेश चंद पुत्र, 8. हरदेश कुमार पुत्र, 9. सुरेश कुमार पुत्र, 10. बीना देवी पुत्री, 11. सुरेखा देवी पुत्री लच्छिया राम पुत्र हंस, 12. संतोष कुमार पुत्र, 13. राम चंद पुत्र, 14. पवन कुमार पुत्र, 15. रविन्द्र कुमार पुत्र, 16. राधा देवी पुत्री, 17. विमला देवी विधवा विशनू पुत्र हंस, 18. कुलदीप कुमार पुत्र,19. प्रदीप कुमार पुत्र, 20. श्रेष्ठा देवी पुत्री, 21. प्रकाशो देवी विधवा दयाल उपनाम मिलाप चंद पुत्र हंस, 22. अनिल कुमार पुत्र, 23. अशोक कुमार पुत्र, 24. सुमना देवी पुत्री दयाल उपनाम मिलाप चंद, 25. आत्मा राम पुत्र, 26. प्रकाश चंद पुत्र, 27. गीता देवी पुत्री मथरू पुत्र धौलू, 28. गोदां देवी पुत्री, 29. (अ) रमना विधवा अजय कुमार पुत्र कलां देवी, (ब) कोमल पुत्री अजय कुमार पुत्र कलां देवी, (स) भारती पुत्री अजय कुमार पुत्र कलां देवी, 30. रवि कुमार पुत्र 31. विन्ता देवी पुत्री 32. ब्रहमी देवी विधवा तारा चंद पुत्र सीहनू, 33. देश राज पुत्र, 34. कमला देवी विधवा विधि चंद पुत्र फौजू, 35. बिमला देवी पुत्री, 36. केवा देवी पत्नी फौजू पुत्र लोहलू, 37. अमित कुमार पुत्र नरेश कुमार पुत्र प्रमोध सिंह, 38. कश्मीर चंद, 39. अमन पुत्र, 40. नीलमा देवी पुत्री, 41. शकुन्तला देवी विधवा शेषराम, 42. डिम्पल कुमार, 43. शशि कुमार पुत्र, 44. रानी देवी विधवा विनोद कुमार पुत्र विशनू सभी निवासीयान महाल छतर, डा0 अन्द्रेटा, तहसील पंचरूखी, जिला कांगडा, हि0 प्र0।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचारधीन है। इसमें प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किए गए, परन्तु साधारण तरीके से तामील न हुई। प्रार्थी ने सही पता पेश करने में असमर्थता व्यक्त की तथा इश्तहार हिमाचल राजपत्र में जारी करने का अनुरोध किया। अतः अब इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि इस केस बारे किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 04–02–2026 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 13–01–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी पंचरूखी,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा : तकसीम केस नं0 : 21 / TEH / 2025 तारीख पेशी : 06–01–2026

राज कुमार आदि

बनाम

मंगला देवी आदि

भूमि खाता नं0 27, खतौनी नं0 49, खसरा कित्ता–04, रकबा तदादी 00–04–75, है0 महाल छतर, तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 जमाबन्दी वर्ष 2021–22.

नोटिस बनाम.– 1. मंगला देवी पुत्री, 2. भीखमी देवी पुत्री मंगतू पुत्र दुनी, 3. प्रधान सिंह पुत्र सुखू पुत्र दुनी, 4. भवानी चंद पुत्र प्रधान सिंह पुत्र सुखू, 5. विहारी लाल पुत्र, 6. अमरनाथ पुत्र, 7. भीखरी देवी बालू पुत्र, धौलू, 8. घनश्याम पुत्र, 9. पूनम पुत्री भीमसेन पुत्र बालू, 10. रमेश चंद पुत्र, 11. हरदेश कुमार पुत्र, 12. सुरेश कुमार पुत्र, 13. बीना देवी पुत्री, 14. सुरेखा देवी पुत्री लच्छिया राम पुत्र हंस, 15. संतोष कुमार पुत्र, 16. राम चंद पुत्र, 17. पवन कुमार पुत्र, 18. रविन्द्र कुमार पुत्र, 19. राधा देवी पुत्री, 20. विमला देवी विधवा विशनू पुत्र हंस, 21. कुलदीप कुमार पुत्र, 22. प्रदीप कुमार पुत्र, 23. श्रेष्ठा देवी पुत्री, 24. प्रकाशो देवी विधवा दयाल उपनाम मिलाप चंद पुत्र हंस, 25. अनिल कुमार पुत्र, 26. अशोक कुमार पुत्र, 27. सुमना देवी पुत्री दयाल उपनाम मिलाप चंद, 28. आत्मा राम पुत्र, 29. प्रकाश चंद पुत्र, 30.गीता देवी पुत्री मथरू पुत्र धौलू, 31. गोदां देवी पुत्री, 32. (अ) रमना विधवा अजय कुमार पुत्र कलां देवी, (ब) कोमल पुत्री अजय कुमार पुत्र कलां देवी, (स) भारती पुत्री अजय कुमार पुत्र कलां देवी, 33. रवि कुमार पुत्र 34. विन्ता देवी पुत्री 35. ब्रहमी देवी विधवा तारा चंद पुत्र सीहनू, 36. देश राज पुत्र, 37. कमला देवी विधवा विधि चंद पुत्र फौजू, 38. बिमला देवी पुत्री, 39. केवा देवी पत्नी फौजू पुत्र लोहलू, 40. अमित कुमार पुत्र नरेश कुमार पुत्र प्रमोध सिंह, 41. कश्मीर चंद, 42. अमन पुत्र, 43. नीलमा देवी पुत्री, 44. शकुन्तला देवी विधवा शेषराम, 45. डिम्पल कुमार पुत्र, 46. शशि कुमार पुत्र, 47. रीना देवी विधवा विनोद कुमार पुत्र विशनू सभी निवासीयान महाल छतर, डा0 अन्द्रेटा, तहसील पंचरूखी, जिला कांगडा, हि0 प्र0।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किए गए, परन्तु साधारण तरीके से तामील न हुई। प्रार्थी ने सही पता पेश करने में असमर्थता व्यक्त की तथा इश्तहार हिमाचल राजपत्र में जारी करने का अनुरोध किया। अतः अब इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि इस केस बारे किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 04–02–2026 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 13–01–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी पंचरूखी,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा : तकसीम केस नं0 : 20 / TEH / 2025 तारीख पेशी : 06–01–2026

राज कुमार आदि

बनाम

मंगला देवी आदि

भूमि खाता नं0 28, खतौनी नं0 50, खसरा नं0 542 / 1, रकबा तदादी 00–02–99 है0, महाल छतर, तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 जमाबन्दी वर्ष 2021–22.

नोटिस बनाम.– 1. मंगला देवी पुत्री, 2. भीखमी देवी पुत्री मंगतू पुत्र दुनी, 3. प्रधान सिंह पुत्र सुखू पुत्र दुनी, 4. भवानी चंद पुत्र प्रधान सिंह पुत्र सुखू, 5. विहारी लाल पुत्र, 6. अमरनाथ पुत्र, 7. भीखरी देवी पुत्री बालू पुत्र धौलू, 8. घनश्याम पुत्र, 9. पूनम पुत्री भीमसेन पुत्र बालू, 10. रमेश चंद पुत्र, 11. हरदेश कुमार पुत्र, 12. सुरेश कुमार पुत्र, 13. बीना देवी पुत्री, 14. सुरेखा देवी पुत्री लच्छिया राम पुत्र हंस, 15. संतोष कुमार पुत्र, 16. राम चंद पुत्र, 17. पवन कुमार पुत्र, 18. रविन्द्र कुमार पुत्र, 19. राधा देवी पुत्री, 20. विमला देवी विधवा विशनू पुत्र हंस, 21. कुलदीप कुमार पुत्र, 22. प्रदीप कुमार पुत्र, 23. श्रेष्ठा देवी पुत्री, 24. प्रकाशो देवी विधवा दयाल उपनाम मिलाप चंद पुत्र हंस, 25. अनिल कुमार पुत्र, 26. अशोक कुमार पुत्र, 27. सुमना देवी पुत्री दयाल उपनाम मिलाप चंद, 28. आत्मा राम पुत्र, 29. प्रकाश चंद पुत्र, 30. गीता देवी पुत्री मथरू पुत्र धौलू, 31. गोदां देवी पुत्री, 32 (अ) रमना विधवा अजय कुमार पुत्र कलां देवी, (ब) कोमल पुत्री अजय कुमार पुत्र कलां देवी, (स) भारती पुत्री अजय कुमार पुत्र कलां देवी, 33. रवि कुमार पुत्र,34. विन्ता देवी पुत्री, 35. ब्रहमी देवी विधवा तारा चंद पुत्र सीहनू, 36. देश राज पुत्र, 37. कमला देवी विधवा विधि चंद पुत्र फौजू, 38. बिमला देवी पुत्री, 39. केवा देवी पत्नी फौजू पुत्र लोहलू, 40. अमित कुमार पुत्र नरेश कुमार पुत्र प्रमोध सिंह, 41. कश्मीर चंद, 42. अमन पुत्र, 43. नीलमा देवी पुत्री, 44. शकुन्तला देवी विधवा शेषराम, 45. डिम्पल कुमार पुत्र, 46. शशि कुमार पुत्र, 47. रीना देवी विधवा विनोद कुमार पुत्र विशनू सभी निवासीयान महाल छतर, डा0 अन्द्रेटा, तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचारधीन है। इसमें प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किए गए, परन्तु साधारण तरीके से तामील न हुई। प्रार्थी ने सही पता पेश करने में असमर्थता व्यक्त की तथा इश्तहार हिमाचल राजपत्र में जारी करने का अनुरोध किया। अतः अब इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि इस केस बारे किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 04–02–2026 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 13–01–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 01 / TEH / 2026 किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 04–02–2026

गायत्री देवी

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रार्थना–पत्र अधिनियम धारा 13 / 3 जन्म / मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

प्रार्थिया गायत्री देवी पुत्री चिडनू राम, निवासी गांव प्रनोह, डा0 व तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पेश किया कि प्रार्थिया का जन्म दिनांक 20–11–1946 को घर पर हुआ था, परन्तु अज्ञानतावश व अनपढ़ता के कारण ग्राम पंचायत लदोह के अभिलेख में पंजीकृत न करवाया है। अतः सम्बन्धित ग्राम पंचायत को जन्म पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएं।

अतः इस इश्तहार के द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 04–02–2026 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर / एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थिया गायत्री देवी का जन्म पंजीकरण दिनांक 20–11–1946 के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13–01–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यालय दण्डाधिकारी, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 01 / 2026 तारीख पेशी : 09–02–2026

किस्म प्रकरणः जन्म पंजीकरण

श्रीमती कौलां देवी पुत्री श्री अमी चन्द, वासी गांव बलोह, डाकघर साईं, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.–जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र।

श्रीमती कौलां देवी पुत्री श्री अमी चन्द, वासी गांव बलोह, डाकघर साई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में असालतन हाजिर होकर प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फी पेश करते हुये आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 18–03–1950 को गांव बलोह, डाकघर साईं, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा में हुआ है परन्तु आज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने के आदेश ग्राम पंचायत बलोह को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुये इश्तहार मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त की जन्म तिथि 18–03–1950 के पंजीकरण बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 09–02–2026 को दर्ज करवा सकते है निर्धारित तिथि उपरान्त किसी किस्म का उजर / एतराज नहीं सुना जाएगा व उपरोक्त श्रीमती कौलां देवी पुत्री श्री अमी चन्द, वासी गाँव बलोह, डाकघर साई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश उप स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत बलोह को पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 01 / 2026 तारीख फैसलाः 11–02–2026

श्रीमती सुवर्णा देवी पुत्री पोलो राम गांव नाहली, डाकघर बग्गी, तहसील लगडू, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ..वादिया।

बनाम

आम जनता गांव नाहली, डाकघर बग्गी, तहसील लगडू, जिला कांगड़ा हि0 प्र0। .. प्रतिवादी।

विषय.–हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण बारे।

प्रार्थिया श्रीमती सुवर्णा देवी पुत्री पोलो राम, गांव नाहली, डाकघर बग्गी, तहसील लगडू ने इस अदालत में आवेदन प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसका जन्म दिनांक 01–01–1969 को हुआ है परन्तु इसका पंजीकरण ग्राम पंचायत बग्ग में नहीं करवाया है। इसलिये उसके जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत बग्ग को जारी किए जाएं।

अतः इस कोर्ट नोटिस मुनादी के माध्यम से आम जनता व सभी प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि किसी को भी इस जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह इस मामला की तयशुदा तारीख पेशी 11–02–2026 को समय 11.00 बजे सुबह इस अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर आकर प्रस्तुत करें। गैरहाजिरी की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा इस जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 13–01–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाकिारी,
तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, खुण्डियां जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0.– 70964 / 2026 किस्म मुकद्दमाः दुरुस्ती नाम तारीख पेशीः 17–02–2026

श्री गुलेर चन्द पुत्र किशन चन्द, निवासी महाल थडा, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . .प्रतिवादी

विषय.–प्रार्थना–पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल थडा मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

श्री गुलेर चन्द पुत्र किशन चन्द, निवासी महाल थडा, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि

उसका नाम पंचायत अभिलेख, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में गुलेर चन्द दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी गुलेर चन्द ही है। परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त महादेव के महाल थडा में उसका नाम गुलेर सिंह गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपने नाम की राजस्व अभिलेख महाल थडा में दुरुस्ती करवा करके गुलेर सिंह की बजाए गुलेर चन्द उपनाम गुलेर सिंह दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुश्त्री मुनादी चस्पांनगी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल थडा में दुरुस्ती करवा करके गुलेर सिंह की बजाए गुलेर चन्द उपनाम गुलेर सिंह दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वो तारीख पेशी 17–02–2026 को असालतन व वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी का उजर / एतराज नही सुना जाएगा व नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 13–01–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0: 70965 / 2026 किस्म मुकद्दमाः दुरुस्ती नाम तारीख पेशीः 24–02–2026

श्री दलीप सिंह पुत्र श्री तुलियां, निवासी महाल खोला, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

विषय.–प्रार्थना–पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल खोला, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

श्री दलीप सिंह पुत्र श्री तुलियां, निवासी महाल खोला, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में दलीप सिंह दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी दलीप सिंह ही है। परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त महादेव के महाल खोला में उसका नाम दलीप कुमार गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपने नाम की राजस्व अभिलेख महाल खोला में दुरुस्ती करवा करके दलीप कुमार के बजाए दलीप सिंह उपनाम दलीप कुमार दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुश्त्री मुनादी चस्पानंगी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल खोला में दुरुस्ती करवा करके दलीप कुमार के बजाए दलीप सिंह उपनाम दलीप कुमार दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वो तारीख पेशी 24–02–2026 को असालतन व वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म उजर / एतराज नही सुना जाएगा व नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 15–01–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समार्हता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

Mr./Mrs./Ms. Nimo Devi d/o Sh. Parma Ram s/o Niplia Ram, r/o Village Tangroti Khas, P.O. Ramehar, Tehsil Dharamshala, District kangra (H.P.).

Vs.

1. The General Public.
2. The Rrgistrar Birth & Deaths, C.M.O. Kangra at Dharamshal.
3. The Rrgistrar (Birth & Death)-*cum*-Panchayat Secretary, Concerned G.P.
4. The Commissioner Municipal Corporation Dharamshala.

विषय.– प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्य पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Mr./Mrs./Ms. Nimo Devi d/o Sh. Parma Ram s/o Niplia Ram, r/o Village Tangroti Khas, P.O. Ramehar, Tehsil Dharamshala, District kangra (H.P.) ने से इस अदालत में प्रार्थना–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 01–07–1967 को गावं व डा0 तंगरोटी, तहसील धर्मशाला में हुआ है। परन्तु एम0 एस0 धर्मशाला /सबंधित ग्राम पंचायत में जन्म/मृत्यु/ रजिस्टर में पंजीकृत न है। अतः जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस इस्तहार/मुश्त्री मुनादी के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Nimo Devi d/o Sh. Parma Ram की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 23–02–2026 को असालतन या वकालतन हाजिर हो कर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 15–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Exercising the Power of Marriage Officer, Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.)

In the matter of :

1. Sh. Yogesh s/o Sh. Satish Kumar, r/o Village Jol, P.O. Gagruhi, Tehsil Jawalkmukhi, Distt. Kangra, H.P.

2. Rashmi d/o Sh. Nakul singh, r/o D2/67, Surender Colony, Part-1 Jharoda Mazra Burari, North Delhi, Delhi-110084 ..*Applicants.*

Versus

General Public .. *Respondent.*

Subject.—Notice for registration of Marriage under Section 8(4)of H.P. Registration Marriage Act, 1966.

The above applicants have filed an application u/s 8(4) of H.P. Registration Marriage Act, 1966, alongwith affidavit and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that their marriage was solemnized on 28-11-2023 according to Hindu Rites & Customs, in the presence of relatives and friends, but due to the lack of knowledge said marriage has not been registered in the record of "Gram Panchayat Dareen Development Block Surani, Distt. Kangra, H.P.", hence the direction of registration of marriage may be issued to concerned secretary of Gram Panchayat Dareen, Develpoment Block Surani, Distt. Kangra, H.P.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who have any objection regarding this marriage, can file the objections personally or in writing before this office on or before 19-02-2026 at 11.00 A.M. The objection(s) after 19-02-2026 at 11.00 A.M. will not be entertain by this office and then the order of registration of said marriage issued according as per the law prescribed.

Issued on this 13th day of Janurary, 2026 under my hand and seal of this office.

Seal. Sad/-

Sub-Divisional Magistrate-cum- Marriage Officer,
Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.).

Before Sh. Ravinder Singh Sisodia, Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar, Majra, District Sirmaur, Himachal Pradesh

Case No.	Date of Institution	Date of Decision
01/2026	07-01-2026	Pending for 09-02-2026

Sh. Arshad Ali s/o Sh. Sarwar Ali, r/o Village Jagatpur, P.O. Majra, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur, H.P. . .*Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondents.*

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Arshad Ali s/o Sh. Sarwar Ali, r/o Village Jagatpur, P.O. Majra, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur, H.P. has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that he has born on 01-02-1986 at Village Jagatpur, P.O. Majra, Sub-Tehsil Majra, District Sirmaur (H.P.) but his date of birth could not be registered in the records of Gram Panchayat Meliyon, Sub-Tehsil Majra, District Sirmaur (H.P.) within stipulated period. Hence he prayed for passing necessary orders to the Secretary, Births & Deaths Registration, Gram Panchayat Meliyon, Sub-Tehsil Majra for entering the same in the births and deaths records.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objections for the registration of delayed date of birth of Sh. Arshad Ali s/o Sh. Sarwar Ali & Smt. Bano, may submit their objections in writing in this court on or before 09-02-2026 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 7th day of January, 2026.

Seal.

Sd/-
(RAVINDER SINGH SISODIA),
Executive Magistrate-cum-*Naib Tehsildar,*
Majra, District Sirmaur (H.P.).

समक्ष श्री सुरेश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, एवं नायब तहसीलदार, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 01 / 13(3) of 2026 तारीख मजरूआ : 09–01–2026 तारीख पेशी : 16–01–2026

प्रार्थिया श्रीमती निर्मला देवी पुत्री श्री खजान सिंह & श्रीमती जीवनी देवी निवासी गांव डडोर, ग्राम पंचायत थाना–कशोगा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराये जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(3).

प्रार्थिया श्रीमती निर्मला देवी पुत्री श्री खजान सिंह & श्रीमती जीवनी देवी, निवासी गांव डडोर, ग्राम पंचायत थाना–कशोगा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) / मुख्य चकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/B&D/Delayed cases/2025-12471, दिनांक 03–01–2026 को अदालत हजा में एक दरख्वास्त गुजार कर दावा किया है कि उसका जन्म गांव डडो, ग्राम पंचायत थाना–कशोगा में तिथी 19–03–1973 को हुआ था, लेकिन लापरवाही व अज्ञानता के कारण आज दिन उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत थाना–कशोगा में दर्ज न हो सकी, जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक है।

जन्म दर्ज मौजूदा मामले में प्रार्थिया के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थिया के सभी सगे–सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त दुरुस्ती मामले में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 11–02–2026 को कार्यकारी दण्डाधिकारी, ददाहू द्वितीय श्रेणी के समक्ष असालतन या वकालतन पेश होवें अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 19–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

हस्ताक्षरित / –

मोहर। (सुरेश कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री जय कृष्ण, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री डिम्पल जस्टा पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी ग्राम जास्वी, डाकघर कोटि बौंच, ग्राम पंचायत अजरोली, उप–तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता निवासी ग्राम जास्वी, डाकघर कोटि बौंच, ग्राम पंचायत अजरोली, उप–तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

विषय.––दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री डिम्पल जस्टा पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी ग्राम जास्वी, डाकघर कोटि बौंच, ग्राम पंचायत अजरोली, उप–तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-10705, दिनांक 21–11–2025 के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी अपने पुत्र श्री अभिजीत जसवाल की जन्म तिथि 03–07–2022 को ग्राम पंचायत अरजोली के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जिसका रिकार्ड पंचायत में दर्ज नहीं किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन–पत्र मय ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10, आधार कार्ड, परिवार नकल इत्यादि संलग्न किया है तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर द्वारा अपनी संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी डिम्पल जस्टा पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी ग्राम जास्वी के पुत्र श्री अभिजीत जसवाल की जन्म तिथि 03–07–2022 को ग्राम पंचायत अजरोली, विकास खण्ड शिल्लाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति व दावा इस अदालत में दिनांक 16–02–2026 को सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी डिम्पल जस्टा के पुत्र श्री अभिजीत जसवाल की जन्म तिथि 03–07–2022 को ग्राम पंचायत अजरोली, विकास खण्ड शिल्लाई के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय जन्म एवं मृत्यु पंजीपाल को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 16–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

————

ब अदालत श्री जय कृष्ण, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री रितिक चौहान पुत्र श्री दौलत राम, निवासी ग्राम झकान्डो, डाकघर झकान्डो, ग्राम पंचायत झकान्डो, उप–तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता निवासी ग्राम झकान्डो, डाकघर झकान्डो, ग्राम पंचायत झकान्डो, उप–तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

विषय.––दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रितिक चौहान पुत्र श्री दौलत राम, निवासी ग्राम झकान्डो, डाकघर झकान्डो, ग्राम पंचायत झकान्डो, उप–तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-12340, दिनांक 31–12–2025 के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी अपनी जन्म तिथि 25–05–2006 को ग्राम पंचायत झकान्डो के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जिसका रिकार्ड पंचायत में दर्ज नहीं किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन–पत्र मय ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10, आधार कार्ड, परिवार नकल इत्यादि संलग्न किया है तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर द्वारा संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री रितिक चौहान पुत्र श्री दौलत राम, निवासी ग्राम झकान्डो, डाकघर झकान्डो, ग्राम पंचायत झकान्डो, उप–तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 25–05–2006 को ग्राम पंचायत झकान्डो, विकास खण्ड शिल्लाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति व दावा इस अदालत में दिनांक 16–02–2026 को सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी रितिक चौहान पुत्र श्री दौलत राम की जन्म तिथि 25–05–2006 को ग्राम पंचायत झकान्डो, विकास खण्ड शिल्लाई के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय जन्म एवं मृत्यु पंजीपाल को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 16–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

Before Sh. Ravinder Singh Sisodia, Executive Magistrate-cum**-Naib Tehsildar, Majra, District Sirmaur, Himachal Pradesh**

Case No.	Date of Institution	Date of Decision
02/2026	07-01-2026	Pending for 09-02-2026

Sh. Amjad Khan s/o Sh. Sarwar Ali, r/o Village Jagatpur, P.O. Majra, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur, H.P . .*Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondents.*

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Amjad Khan s/o Sh. Sarwar Ali, r/o Village Jagatpur, P.O. Majra, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur, H.P has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that he has born on 20-10-1983 at Village Jagatpur, P.O. Majra, Sub-Tehsil Majra, District Sirmaur (H.P.) but his date of birth could not be registered in the records of Gram Panchayat Meliyon, Sub-Tehsil Majra, District Sirmaur (H.P.) within stipulated period. Hence he prayed for passing necessary orders to the Secretary, Births & Deaths Registration, Gram Panchayat Meliyon, Sub-Tehsil Majra for entering the same in the births and deaths records.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objections for the registration of delayed date of birth of Sh. Amjad Khan s/o Sh. Sarwar Ali & Smt. Bano, may submit their objections in writing in this court on or before 09-02-2026 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 7th day of January, 2026.

Seal. Sd/-
(RAVINDER SINGH SISODIA),
Executive Magistrate-cum-*Naib Tehsildar,*
Majra, District Sirmaur (H.P.).

Before Sh. Ravinder Singh Sisodia, Executive Magistrate-cum**-Naib Tehsildar, Majra, District Sirmaur, Himachal Pradesh**

Case No.	Date of Institution	Date of Decision
04/2026	07-01-2026	Pending for 09-02-2026

Sh. Mohan Singh s/o Late Sh. Deep Ram, r/o Village Matak Majri, P.O. Majra, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur, H.P. . .*Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondents.*

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Mohan Singh s/o Late Sh. Deep Ram, r/o Village Matak Majri, P.O. Majra, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur, H.P. has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that his grand father namely Munshi Ram died on 12-07-1998 at Village Matak Majri, P.O. Majra, Sub-Tehsil Majra, District Sirmaur (H.P.) but his date of death could not be registered in the records of Gram Panchayat Majra, Sub-Tehsil Majra, District Sirmaur (H.P.) within stipulated period. Hence he prayed for passing necessary orders to the Secretary, Births & Deaths Registration, Gram Panchayat Majra, Sub-Tehsil Majra for entering the same in the births and deaths records.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objections for the registration of delayed date of death of Sh. Munshi Ram s/o Sh. Prabhu Ram, may submit their objections in writing in this court on or before 09-02-2026 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 7th day of January, 2026.

Seal. Sd/-
(RAVINDER SINGH SISODIA),
Executive Magistrate-cum-*Naib Tehsildar,*
Majra, District Sirmaur (H.P.).

Before Sh. Ravinder Singh Sisodia, Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar, Majra, District Sirmaur, Himachal Pradesh

Case No.	Date of Institution	Date of Decision
03/2026	07-01-2026	Pending for 09-02-2026

Smt. Tasmeem Begum d/o Sh. Sarwar Ali, r/o Village Jagatpur, P.O. Majra, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur, H.P. . .*Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondents.*

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Tasmeem Begum d/o Sh. Sarwar Ali, r/o Village Jagatpur, P.O. Majra, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur, H.P. has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that she has born on 29-01-1981 at Village Jagatpur, P.O. Majra, Sub-Tehsil Majra, District Sirmaur (H.P.) but her date of birth could not be registered in the records of Gram Panchayat Meliyon, Sub-Tehsil Majra, District Sirmaur (H.P.) within stipulated period. Hence she prayed for passing necessary orders to the Secretary, Births & Deaths Registration, Gram Panchayat Meliyon, Sub-Tehsil Majra for entering the same in the births and deaths records.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objections for the registration of delayed date of birth of Smt. Tasmeem Begum d/o

Sh. Sarwar Ali & Smt. Bano, may submit their objections in writing in this court on or before 09-02-2026 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 7th day of January, 2026.

Seal.

Sd/-
(RAVINDER SINGH SISODIA),
Executive Magistrate-cum-*Naib Tehsildar,*
Majra, District Sirmaur (H.P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)

मिसल नं0 :	किस्म मुकद्दमाः	तारीख पेशीः
36/Corr./T/U/2025	नाम दुरुस्ती	16–02–2026

श्री रबजोत सिंह पुत्र त्रिलोचन सिंह, गांव रामपुर, तहसील व जिला ऊना हि0प्र0

. .वादी।

बनाम

आम जनता . .प्रतिवादी।

''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश / मुश्त्री मुनादी व चस्पांनगी''।

प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री रबजोत सिंह पुत्र त्रिलोचन सिंह, गांव रामपुर, तहसील व जिला ऊना हि0प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख खेवट नं 767 खतौनी नं 1200 खसरा नं कित्ता–9 महाल रामपुर जमाबंदी वर्ष 2022–23 व खेवट नं 409 खतौनी नं 658 खसरा नं कित्ता–7 महाल कुठार खुर्द जमाबंदी वर्ष 2019–20 में रणजोत सिंह पुत्र त्रिलोचन सिंह पुत्र प्यारा सिंह गलत दर्ज चला आ रहा है जबकि उसका सही नाम मुताबिक स्कूल प्रमाण–पत्र व आधार कार्ड में श्री रबजोत सिंह पुत्र त्रिलोचन सिंह पुत्र प्यारा सिंह है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके नाम श्री रबजोत सिंह पुत्र त्रिलोचन सिंह पुत्र प्यारा सिंह किया जाए, प्रार्थी का शपथ–पत्र आधार कार्ड, नकल जमाबन्दी तथा अन्य कागजात मिसल साथ संलग्न हैं।

अतः नोटिस ''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश / मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी'' के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 16–02–2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 13–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री विपिन ठाकुर कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)

केस नं0 :	किस्म मुकद्दमाः	तारीख दायरः	तारीख पेशीः
01/Marriage/T/U/2026	विवाह पंजीकरण	05–01–2026	16–02–2026

1. श्री रवि कांत पुत्र श्री ज्ञान चन्द निवासी बरनोह, तहसील व जिला ऊना हि0प्र0।

2. सुनैयना राजू पुत्री चरंजी लाल, निवासी सुकाहर डाकघर चलाली, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश / मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी''।

प्रार्थी श्री रवि कांत पुत्र श्री ज्ञान चन्द निवासी बरनोह, तहसील व जिला ऊना हि0प्र0 ने बाबत दिए जाने आदेश शादी पंजीकरण बारे इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उनकी शादी हिन्दू रीति–रिवाज़ के अनुसार दिनांक 04–05–2022 को सुनैयना राजू पुत्री चरंजी लाल, निवासी सुकाहर डाकघर चलाली, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 से हुई है, परन्तु यह शादी सहबन गलती के कारण ग्राम पंचायत बरनोह, तहसील व जिला ऊना हि0प्र0 के रजिस्टर में दर्ज न करवाई गई है, उन्होंने इस शादी को ग्राम पंचायत बरनोह, तहसील व जिला ऊना हि0प्र0 में दर्ज करने के लिए अनुरोध किया है। प्रार्थी ने अपनी शादी की पुष्टि में आधार कार्ड, शपथ पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रार्थना–पत्र के साथ दायर करके आवेदन किया है।

अतः इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश / मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को विवाह पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक तारीख पेशी 16–02–2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। तथा उपरोक्त विवाह पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर / एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 13–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।

———

ब अदालत श्री विपिन ठाकुर कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)

केस नं0 :	किस्म मुकद्दमाः	तारीख दायरः	तारीख पेशीः
02/Marriage/T/U/2026	विवाह पंजीकरण	17–06–2025	20–02–2026

1. श्री अभिषेक गौतम पुत्र श्री दीपक गौतम वासी वार्ड नं 4, गांव मलाहत, तहसील व जिला ऊना हि0प्र0।

2. तम्मना पाठक पुत्री श्री राम कुमार निवासी 1474, शिवालिक ऐवेन्यू फेज़–2, नया नंगल पंजाब

बनाम

आम जनता

''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश / मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी''।

प्रार्थी श्री अभिषेक गौतम पुत्र श्री दीपक गौतम वासी वार्ड न. 4, गांव मलाहत तहसील व जिला ऊना हि0प्र0 ने बाबत दिए जाने आदेश शादी पंजीकरण बारे इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उनकी शादी हिन्दू रीति–रिवाज़ के अनुसार दिनांक 07–12–2012 को तम्मना पाठक पुत्री श्री राम कुमार निवासी 1474, शिवालिक ऐवेन्यू फेज़–2, नया नंगल पंजाब से हुई है, परन्तु यह शादी सहबन गलती के कारण एम.सी. ऊना के रजिस्टर में दर्ज न करवाई गई है, उन्होंने इस शादी को एम.सी. ऊना में दर्ज करने के लिए अनुरोध किया है। प्रार्थी ने अपनी शादी की पुष्टि में आधार कार्ड, शपथ पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रार्थना–पत्र के साथ दायर करके आवेदन किया है।

अतः इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश / मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को विवाह पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 20–02–2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। तथा उपरोक्त विवाह पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर / एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 24–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।

———

In the Court of Marriage Officer-cum**-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Sh. Surinder Kumar aged 36 years s/o Sh. Ramesh Chand, r/o Village Nalwari, P.O. & Tehsil Bangana, District Una (H.P.)

2. Dimple aged 29 years d/o Sh. Tilak Raj, r/o Village & P.O. Panjabar, Teshil & District Una (H.P.) . . *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.).

Sh. Surinder Kumar aged 36 years s/o Sh. Ramesh Chand, r/o Village Nalwari, P.O. & Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and Dimple aged 29 years d/o Sh. Tilak Raj, r/o Village & P.O. Panjabar, Teshil & District Una (H.P.) at present wife of Sh. Surinder Kumar aged 36 years s/o Sh. Ramesh Chand, r/o Village Nalwari, P.O. & Tehsil Bangana, District Una (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 01-07-2015 at r/o Village Nalwari, P.O. & Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special Marriage Act, 1954. Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 26-02-2026 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 17th January, 2026 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Bangana, District Una, Himachal Pradesh.

CORRECTION OF NAME

I, Ambra Devi w/o Hari Chand, r/o Ward No. 3, V.P.O. Puid, Tehsil & Distt. Kullu (H.P.) declare that my name is wrongly entered as Amra Devi in Aadhar Card. Now I intend to correct my name as Ambra Devi in Aadhar Card. Concerned note it.

AMBRA DEVI
w/o Hari Chand,
r/o Ward No. 3, V.P.O. Puid,
Tehsil & Distt. Kullu (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Inder Raj s/o Hari Sarn, Matred, P.O. Pangna, Tehsil Karsog, Pangna (201), Distt. Mandi (H.P.) declare that my minor daughter's name in Aadhar No. 2693 5216 7622 as Fch is wrongly entered. Correct name is Saanvi Chauhan.

INDER RAJ
s/o Hari Sarn, Matred,
P.O. Pangna, Tehsil Karsog, Pangna (201),
Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Radha Devi w/o Sh. Laxmi Singh, r/o Village Lakharanji (524), P.O. Kotla, Tehsil & Distt. Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Radha Devi to Nirmla. Please note all concerned for further.

RADHA DEVI
w/o Sh. Laxmi Singh,
r/o Village Lakharanji (524), P.O. Kotla,
Tehsil & Distt. Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Amro Devi w/o Sh. Parshotam Singh, r/o Village Bhalunder, P.O. Lahru, Tehsil Jaisinghpur, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Amri Devi to Amro Devi for all purposes in future. All concerned please note.

AMRO DEVI
w/o Sh. Parshotam Singh,
r/o Village Bhalunder, P.O. Lahru,
Tehsil Jaisinghpur, Distt. Kangra (H.P.).

\

CHANGE OF NAME

I, Satish Kumar s/o Sh. Daya Ram, r/o Village Chhalkhi, P.O. Diargi, Tehsil Balh, Distt. Mandi (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Ankit to Ankita in Aadhar No. 6872 0563 2626. All concerned please note.

SATISH KUMAR
s/o Sh. Daya Ram,
r/o Village Chhalkhi, P.O. Diargi,
Tehsil Balh, Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Dharamvir s/o Rajinder Prashad, r/o Village Makroti, P.O. Ladwara, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my name to Pradeep Kumar.

DHARAMVIR
s/o Rajinder Prashad,
r/o Village Makroti, P.O. Ladwara,
Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Jai Devi w/o Ex. No. 2454647F Sepoy Dhani Ram, r/o Village Chaprer, P.O. Kosri, Tehsil Jaisinghpur, Distt. Kangra (H.P.) hereby inform that I have changed my name from Jaydei Devi to Jai Devi. All concerned please note.

JAI DEVI
w/o Dhani Ram,
r/o Village Chaprer, P.O. Kosri,
Tehsil Jaisinghpur, Distt. Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Jeena Devi w/o Sh. Mohinder Singh, r/o Village Maithal, Tehsil Nalagarh, Distt. Solan (H.P.) declare that in my son's Aadhar Card his name is wrongly entered as Adrash Chandel which should be corrected as Adarsh Chandel. Please correct this.

JEENA DEVI
w/o Sh. Mohinder Singh,
r/o Village Maithal,
Tehsil Nalagarh, Distt. Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kushal Chand s/o Sh. Mast Ram, Village Kandhi, P.O. Saroa, Kandhi (9), Distt. Mandi (H.P.)-175 124 declare that I want to change my minor daughter's name from Barsha to Varsha in Aadhar No. 2370 1422 8934. All concerned please note.

KUSHAL CHAND
s/o Sh. Mast Ram,
Village Kandhi, P.O. Saroa, Kandhi (9),
Distt. Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Jeet Singh s/o Sh. Sunder Singh, r/o Village Bharol, P.O. & Tehsil Lad Bharol, Distt. Mandi (H.P.) declare that my name in my Aadhar Card 7565 6810 3586 is wrongly entered as Ajit Singh. Whereas my correct name is Jeet Singh. All concerned please note.

JEET SINGH
s/o Sh. Sunder Singh,
r/o Village Bharol, P.O. & Tehsil Lad Bharol,
Distt. Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Nirmla Devi d/o Keshav Ram, at present w/o Jai Chand, r/o V.P.O. Raman, Tehsil & Distt. Kullu (H.P.) declare that my name is wrongly entered as Doli in Birth Certificate. Now I intend to correct my name as Nirmla Devi in Birth Certificate. Concerned note it.

NIRMLA DEVI
d/o Keshav Ram, at present w/o Jai Chand,
r/o V.P.O. Raman, Tehsil & Distt. Kullu (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Shesha Devi aged 41 years d/o Sh. Prem Singh, at present r/o Village Bajhol, P.O. Thachi, Sub-Tehsil Dhami, Distt. Shimla (H.P.)-171103 do hereby solemnly declare that I have changed my name from Shesha Devi to Shashi Kala due to marriage and that I am one and the same person.

SHESHA DEVI
d/o Sh. Prem Singh,
at present, r/o Village Bajhol, P.O. Thachi,
Sub-Tehsil Dhami, Distt. Shimla (H.P.)-171103.

CHANGE OF NAME

I, Prithvi Chand s/o Sh. Amar Singh, r/o Village Kuhal, P.O. Balduhak, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Pirthi Chand to Prithvi Chand for all purposes in future. All concerned please note.

PRITHVI CHAND
s/o Sh. Amar Singh,
r/o Village Kuhal, P.O. Balduhak,
Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kumari Anamika w/o Sh. Anil Kumar, r/o Village Nanawan, P.O. Karsai, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Nishita to Ojasvi Verma for all purposes in future. All concerned please note.

KUMARI ANAMIKA
w/o Sh. Anil Kumar,
r/o Village Nanawan, P.O. Karsai,
Distt. Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sudharshna Kumari w/o Sh. Vipan Kumar, r/o Village Sadar Pur, P.O. Tanda, Sadarpur (544), Tanda, Kangra (H.P.)-176 001 declare that I have changed my name in my Aadhar Card No. 2138 6270 3706 from Sudharshna Kumari to Darshna Devi. All concerned please may note.

SUDHARSHNA KUMARI
w/o Sh. Vipan Kumar,
r/o Village Sadar Pur, P.O. Tanda, Sadarpur (544),
Tanda, Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Sangita Devi w/o Sh. Sanjay Chauhan, r/o V.P.O. Chokar, Tehsil Nohradhar, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that in my son Adarsh Chauhan's 10th & 12th Certificate my name was wrongly entered as Sangeeta Devi, which should be corrected as Sangita Devi. All concerned please may note.

SANGITA DEVI
w/o Sh. Sanjay Chauhan,
r/o V.P.O. Chokar,
Tehsil Nohradhar, Distt. Sirmaur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Malkeet Kaur w/o Baldev Singh, r/o Village Tokion, P.O. Sainwala Mubarakpur, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that in my Aadhar Card 9425 9920 5719 my name is wrongly entered as Malakito, which is required to be corrected as Malkeet Kaur also that in my Aadhar Card my husband's name written as Baldev which is also required to be corrected as Baldev Singh. Both Malakito and Malkeet Kaur are same person . All concerned please may note.

MALKEET KAUR
w/o Baldev Singh,
r/o Village Tokion, P.O. Sainwala Mubarakpur,
Distt. Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sukhmali w/o Sh. Kuldeep Singh, r/o Rakesh Soni Bhawan, P.O. & Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.) declare that name of my son Divyansh K.C. is wrongly mentioned as Divyansh in his Aadhar Card No. 3382 0633 2396. Therefore it should be changed to Divyansh K.C. in his Aadhar Card. Note the relevant information.

SUKHMALI
w/o Sh. Kuldeep Singh,
r/o Rakesh Soni Bhawan,
P.O. & Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Neeta Devi w/o Sh. Ramesh Chand, r/o Village Kando Dugana, P.O. Dugana, Tehsil Kamrau, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my daughter's name from Thakur Lakshita Pundir (UIN-9483 3775 9612) to Lakshita Thakur (D.O.B. 02-09-2012) due to varitation in Aadhar Card. All concerned please note.

NEETA DEVI
w/o Sh. Ramesh Chand,
r/o Village Kando Dugana, P.O. Dugana,
Tehsil Kamrau, Distt. Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Ved Prakash s/o Lt. Durga Ram, r/o Village Shalana, P.O. & Tehsil Rajgarh, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my son's name from Dhairya Chauhan to Dhairyaveer Chauhan .Concerned please note.

VED PRAKASH
s/o Lt. Durga Ram,
r/o Village Shalana, P.O. & Tehsil Rajgarh,
Distt. Sirmaur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Phoola Devi w/o Banku Ram, Village Khanaur, P.O. Seoh, Tehsil Dharampur, Distt. Mandi (H.P.)-175 051 declare that I want to correct my name in all civil records as Foolan Devi instead of Phoola Devi.

PHOOLA DEVI
w/o Banku Ram,
Village Khanaur, P.O. Seoh,
Tehsil Dharampur, Distt. Mandi (H.P.)-175 051.

CORRECTION OF NAME

I, Anish Kumar Sharma s/o Surinder Kumar, Village Diyal, P.O. Nehran Pukhar, Tehsil Dehra, Distt. Kangra (H.P.) declare that my father & mother's name is wrongly recorded in my Aadhar Card as well as Educational documents as Surender Kumar & Nitu Sharma whereas in my birth certificate their names are registered as Surinder Kumar & Neetu Sharma are correct. That Surender Kumar and Surinder Kumar & Nitu Sharma and Neetu Sharma are the name of one person and may be corrected in my Aadhar Card and educational documents as Surinder Kumar and Neetu Sharma. Concerned note.

ANISH KUMAR SHARMA
s/o Surinder Kumar,
Village Diyal, P.O. Nehran Pukhar,
Tehsil Dehra, Distt. Kangra (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट https://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।